प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (इंडो नेपाल)–सुपौल–02/13–................../रा0, पटना–15, दिनांक–..../...../2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.....2693/रा० पटना, दिनांकः– 22-11-13

अधिघोषणा

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–लाहीपरास, थाना सं0–184, परगना– धपहर, थाना– वीरपुर, जिला– सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात इंडो–नेपाल बोर्डर रोड़ निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– लाहीपरास थाना सं0–184 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 1.84840 (एक एकड़ चौरासी डी0 आठ सौ चालीस वर्गकड़ी) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

<u>पूर्ण खेसरा संख्याः</u>– 21 एवं 87

<u>अंश खेसरा संख्याः</u>– 1, 32, 83 एवं 84

<u>चौहद्दीः</u>–

<u>उत्तरः</u>– सीमा–बेला थाना नं0–193 जिला अररिया

<u>दक्षिणः</u>– खेसरा सं0–88

<u>पूरबः</u>– खेसरा सं0–22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,82,83,84 एवं रास्ता खेसरा सं0–49

पश्चिमः– खेसरा सं0–1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 3

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता, सुपौल।	आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	बिहार राज्यपाल के आदेश से ह0/– **(नरोत्तम प्रसाद सिंह)** सरकार के अवर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2693 /रा० दिनांकः– 22-11-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियॉ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/11/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।